(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 13 / 2021

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2021 / 158

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री चन्द्रेश गर्ग पुत्र श्री भगवान लाल गर्ग जाति अग्रवाल(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) निवासी सिविल लाईन, बाराँ जिला बाराँ मैसर्स जय माता दी ट्रेडिंग कम्पनी, नटराज नगर, बाबजी नगर, जिला बारां

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री अरूण सक्सेना खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2– श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 09.03.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.10.2020 को मैसर्स जय माता दी ट्रेडिंग कम्पनी, नटराज नगर, बाबजी नगर, जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री चन्द्रेश गर्ग पुत्र श्री भगवान लाल गर्ग (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.10.2020 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक / एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र मे आते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 16:29:57 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया वहां खाद्य पदार्थ **दिव्या अमृत लाइट फ्रेश (Cooking Medium)**01ली. पैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात मौके पर खाद्य पदार्थ **दिव्या अमृत लाइट फ्रेश (Cooking Medium)** 01ली. मे मिलावट की शंका होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **दिव्या अमृत लाइट फ्रेश (Cooking Medium)01ली.** के पैक के 04 पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री चन्द्रेश गर्ग पुत्र श्री भगवान लाल गर्ग(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) को 480/- रूपये (अक्षरे चार सौ अस्सी रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **दिव्या अमृत लाइट फ्रेश(Cooking Medium) 01ली.** पैक में से 04 पैकेट को चार नमूना भाग में अलग-अलग कर मूल पैकेट पर हीं लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1042 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1042 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री चन्द्रेश गर्ग पुत्र श्री भगवान लाल गर्ग(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/309 दिनांक 30.10.2020 से ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S. 218/PHL/kota/Act/2020/341 दिनांक 26.10.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **दिव्या अमृत लाइट फ्रेश(Cooking Medium) 01ली.** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा धारा 3(1)(zf)(i) के [illegible] **(Sub Standard & MisBrand)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स जय माता दी ट्रेडिंग कम्पनी, नटराज नगर, बाबजी नगर, जिला बारां से पत्रांक 313 दिनांक 31.10.2020 से सूचना चाही गई। मैसर्स जय माता दी ट्रेडिंग कम्पनी, नटराज नगर, बाबजी नगर, जिला बारां द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड एवं टी0एम0 सर्टिफिकेट की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:29:57 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दिनांक 13.07..2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जर्ये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **दिव्या अमृत लाइट फ्रेश(Cooking Medium) 01ली.** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(i) के तहत **अवमानक एवं मिथ्याछाप (Sub Standard & MisBrand)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 एवं धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा धारा– 26(2)(II) के अंतर्गत प्रस्तुत किया है जिसका आधार दिनांक 07.10.2020 को मैसर्स जय माता दी ट्रैडिंग कंपनी, नटराज नगर, बाबजी नगर, बारां से खाद्य पदार्थ **दिव्या अमृत लाइट फ्रेश(Cooking Medium) 01ली.** का नमूना लिया जाना बताया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही नमूना लेने की प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है, जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। फर्द निरीक्षण ही निर्धारित प्रक्रिया, नियमों के अधीन मौके पर तैयार नहीं की गई है। फूड एनालिस्ट द्वारा दी गई रिपोर्ट मिथ्या, त्रुटिपूर्ण है। जिस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। परीक्षण प्रयोगशाला एन.बी.एल. द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और न हीं खाद्य अथॉरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रयोगशाला द्वारा दी गई रिपोर्ट दिनांक 26.10.2020 में वर्णित सैंपल की जाँच दिनांक 19.10.2020 से 26.10.2020 को दी हुई है परंतु की गई जाँच का कोई परिणाम प्रतिदिन की रिपोर्ट में वर्णित नहीं है। इस कारण रिपोर्ट पढ़े जाने योग्य नहीं है। रिपोर्ट में परीक्षण के तरीके का कोई वर्णन नहीं है तथा सबस्टैडंर्ड, मिसब्राण्डेड पाए जाने का कोई आधार भी दर्ज नहीं है। परिवाद प्रस्तुत करने के लिए दी गई स्वीकृति अभियोजन सक्षम अधिकारी द्वारा मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना जारी की गई है। कथित नमूना सब स्टैंडर्स किस आधार पर एवं किस प्रक्रिया की जाँच रिपोर्ट से समर्थित है, अभिलेख पर नहीं है। इस कारण भी पढ़े जाने योग्य नहीं है। पैकिंग यूनिट में पैकिंग प्रक्रिया के दौरान सैंपल उठाया गया है, जिसको मिथ्या तौर पर विक्रय हेतु बताया है, इसी कारण रिपोर्ट में पैंकिंग कंपनी का पता गलत दर्ज किया गया है, जो संदेह उत्पन्न करता है। साथ हीं प्रोपाइटरी फूड का लिया गया नमूना और की गई जांच पढ़े जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार प्रकरण संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि कार्रवाई ड्रॉप फरमायी जावें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी यदि जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L-S-218/PHL/kota/Act/2020/341 दिनांक 26.10.2020 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी को पत्र द्वारा सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 16:29:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **दिव्या अमृत लाइट फ्रेश(Cooking Medium) 01ली.** जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S. 218 /PHL/kota/Act/2020/341 दिनांक 26.10.2020 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(i) के तहत **अवमानक एवं मिथ्याछाप (Sub Standard & MisBrand)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 एवं 52 के तहत अप्रार्थी को राशि कुल जुर्माना राशि 10,000/— रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई—मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **09.03.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 16:29:57 IST
Reason: SelfAttested